UPBS120001852020

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 143/2020

राघवराम बनाम लवकुश

18.08.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज वादबिन्दु सं० 2, 3 व 9, 10 के निस्तारण हेतु नियत है।

निस्तारण वादबिंदु सं० 2

वादबिंदु सं० 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?

उपरोक्त वादबिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ने जरिए वादोत्तर वाद को अल्पमूल्यांकित बताया है, जबकि वादी ने वाद का मूल्यांकन पर्याप्त होना कहा है। वादी ने वादपत्र के मूल्यांकन पैरा में वाद का मूल्यांकन मु० 1,200/– रूपए किया है। न्यायालय की राय में वाद का मूल्यांकन पर्याप्त प्रतीत होता है। दौरान तर्क प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे वाद का मूल्यांकन अन्यथा निर्धारित किया जा सके। अतः वादबिंदु सं० 2 प्रतिवादी के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वादबिन्दु सं० 3

वादबिन्दु सं० 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

उपरोक्त वादबिन्दु का निस्तारण वादबिन्दु सं० 2 के निष्कर्ष पर निर्भर करता है। न्यायालय द्वारा वादबिन्दु सं० 2 में वाद का मूल्यांकन पर्याप्त माना गया है। वादी द्वारा उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर ही न्यायशुल्क अदा किया गया है। वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क पर्याप्त प्रतीत होता है। अतः वादबिन्दु सं० 3 प्रतिवादी के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वादबिन्दु सं० 9 एवं 10 लंच बाद पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद, स्थान–बस्ती।

लंच बाद

पत्रावली लंच बाद वादबिन्दु सं० 9 एवं 10 के निस्तारण हेतु पुनः पेश हुई।

निस्तारण वादबिंदु सं० 9

वादबिंदु सं० 9 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या काउन्टरक्लेम अल्पमूल्यांकित है?

उपरोक्त वादबिंदु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने जरिए वादोत्तर काउन्टरक्लेम को अल्पमूल्यांकित बताया है, जबकि प्रतिवादी/काउन्टरक्लेमकर्ता ने काउन्टरक्लेम का मूल्यांकन पर्याप्त होना कहा है। प्रतिवादी ने काउन्टरक्लेम के मूल्यांकन पैरा में काउन्टरक्लेम का मूल्यांकन मु० 2000/– रूपए किया है। न्यायालय की राय में काउन्टरक्लेम का मूल्यांकन पर्याप्त प्रतीत होता है। दौरान तर्क वादी द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य

प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे काउन्टरक्लेम का मूल्यांकन अन्यथा निर्धारित किया जा सके। अतः वादबिंदु सं० 9 वादी के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वादबिन्दु सं० 10</u>

वादबिन्दु सं० 10 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

उपरोक्त वादबिन्दु का निस्तारण वादबिन्दु सं० 9 के निष्कर्ष पर निर्भर करता है। न्यायालय द्वारा वादबिन्दु सं० 9 में काउन्टरक्लेम का मूल्यांकन पर्याप्त माना गया है। प्रतिवादी/काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर ही न्यायशुल्क अदा किया गया है। काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क पर्याप्त प्रतीत होता है। अतः वादबिन्दु सं० 10 वादी के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मय लिस्ट गवाहान दिनांक 17.09.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद, स्थान–बस्ती।